

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.ख. /राँची, दिनांक 01.02.2019

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,
अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- भैरवा जलाशय योजना के Down Stream भाग में कुल 2 (दो) अदद चेक डैम सं०- 8 एवं 9 के निर्माण हेतु कुल रु० 840.32 लाख (रुपये आठ करोड़ चालीस लाख बत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

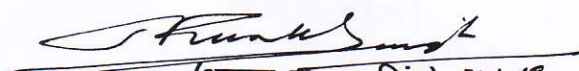
आदेश-स्वीकृत।

- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन रामगढ़ जिलान्तर्गत भैरवा जलाशय योजना के Down Stream भाग में कुल 2 (दो) अदद चेक डैम सं०- 8 एवं 9 के निर्माण हेतु कुल रु० 840.32 लाख (रुपये आठ करोड़ चालीस लाख बत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- भैरवा जलाशय योजना के Down Stream भाग में चेक डैम सं०-8 रामगढ़ जिला के चित्तरपुर/गोला प्रखण्ड के जोरकट/बरदा ग्राम में भेड़ा नदी पर तथा दूसरा चेक डैम सं०-9 रजरप्पा/ हेसापोड़ा ग्राम में भेड़ा नदी पर निर्माण किया जाएगा।
- चेक डैम सं०-8 एवं चेक डैम सं०-9 के आलेख्य की स्वीकृति मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा प्रदान की गई है।
- इस कार्य के प्राक्कलन में नींव तल में Sand Filling एवं Brick flat soling का प्रावधान किया गया है, जिसका vetting सक्षम स्तर से करा लेने के उपरान्त कार्य कराया जाएगा।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है -

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में०)	सिंचित क्षेत्र (हे० में)
1	रामगढ़ जिलान्तर्गत चित्तरपुर/ गोला प्रखण्ड के ग्राम जोरकट/बरदा में भेड़ा नदी पर चेक डैम वियर सं०-08 का निर्माण कार्य	403.87	110.00
2	रामगढ़ जिलान्तर्गत चित्तरपुर/ गोला प्रखण्ड के ग्राम रजरप्पा/हेसापोड़ा में भेड़ा नदी पर चेक डैम वियर सं०-09 का निर्माण कार्य	436.45	120.00
	कुल :-	840.32	

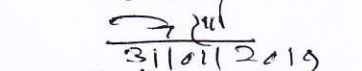
7. उपर्युक्त दोनों डैम के निर्माण हो जाने से नजदीकी ग्रामों को कृषि हेतु सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
8. इस योजना का कार्य वर्ष 2018-19 में प्रारंभ कर जून 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
9. इस योजना में होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य", के अन्तर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- 49S-4701-80-800-64-05-45)
10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
11. कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।
12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
13. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 31.1.19
सरकार के अपर मुख्य सचिव

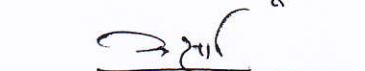
पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.सं. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

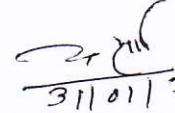
पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.सं. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.खी./राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

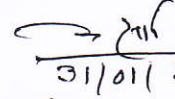

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.खी./राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-683/2019-50/18-19 ज.खी./राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

